राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, खनिज भवन, चित्तौड़गढ़
Office of the Senior Geologist, Department of Mines & Geology, Khanij Bhavan, Chittorgarh
दूरभाष / Phone 01472-251156 (Email:- sg.chittorgarh.mg@rajasthan.gov.in)

कमांक:–व.भूवै / चितौड / निविदा / 2021–22 / 001 / 238 / 2021-22 — दिनाँक– 18.08.2021

खुली निविदा आमन्त्रण सूचना

कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, चितौडगढ के अधीन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण हेतु आऊटसोर्सिंग पर करवाये जाने वाले कार्यो बाबत् विभिन्न सम्बन्धित परियोजनाओं पर निम्न तालिका अनुसार कार्य किये जाने है। उक्त समस्त कार्य करने हेतु राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकृत फर्म / एजेन्सी / संस्थानों से खुली निविदाये मोहरबन्द लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनांक 01.09.2021 को प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कक्ष में खोली जावेगी। ये निविदायें वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये तथा नियमानुसार विस्तारित अवधि के लिये विधिमान्य होंगी जिसकी अवधि आपसी सहमति से नियमानुसार बढ़ायी जा सकती है। निविदा आमन्त्रण दस्तावेज यथा प्रारूप, शर्ते एवं संलग्नक इत्यादि निविदा शुल्क की राशि 300 /– (रूपये तीन सौ रूपये मात्र) नकद या पे आर्डर के रूप में जमा करवाकर (जो लौटाने योग्य नहीं होगी) कार्यालय समय में निविदा राजस्थान लोक उपापन के स्टेट पोर्टल की वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड होने की तिथि से कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदा प्रतिभूति RTPP Rules 42 के तहत वित विभाग के पत्रांक एफ.2 (1)वित्त / G&T/SPFC/2017 दिनांक 18.12.2020 एवं 23.12.2020 की पालना में दिनांक 18.12.2020 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए बोली प्रतिभूति के स्थान पर बोली प्रतिभूति घोषणा ली जावेगी। इस घोषणा पत्र पर राशि रू. 50 /– की स्टाम्प ड्यूटी व इस पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा। उक्त घोषणा निर्धारित प्रारूप Annexure-A में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा या निविदा के किसी भी भाग को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

क्रं. सं.	निविदा कार्यो का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रतिभूति	निविदा शुल्क
1	2	3	4	5
1.	विभागीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, खनिजों के डेलिनियेशन सबंधी कार्य एम.एल. / पी.एल. / सी.एल. क्षैत्रों पर आवश्यक कार्य यथा सेम्पलिंग (सेम्पल कलेक्शन एवं सेम्पल पिप्रेशन) का कार्य, सर्वे से सबंधित कार्य, सर्वे उपकरणों इत्यादि की सुरक्षा एव रखरखाव का कार्य, परियोजना संचालन सबंधी एवं निर्देशानुसार अन्य सम्बन्धित कार्यो को आउटसोर्सिंग के आधार पर पूरा करना एवं चौकीदारी करना।	3.70 लाख /– रू. (अक्षरे रू. तीन लाख सत्तर हजार मात्र)	RTPP Rules, 42 के तहत निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र	300 /– रू. (अक्षरे रू. तीन सौ मात्र वरिष्ठ भूवैज्ञानिक चितौड़गढ़ के नाम डीडी)

समस्त निविदादाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एव नियम 2013 के अध्याधीन अन्य आवश्यक शर्तो तथा निविदा में सम्मलित शर्तो की पालना व सभी आवश्यक दस्तावेजों को सम्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रमाणिकता व पालना की समस्त जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।

(ओ.पी जांगिड)
वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक
चितौडगढ

कमांकः—व.भूवै / चितौड / निविदा / 2021—22 / 001 / दिनाँक— 18.08.2021

प्रतिलिपि निम्नांकितो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयुपर।
2. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयुपर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक भू—विज्ञान (मुख्यालय), निदेशालय खान एवं भू—विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयुपर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक भू—विज्ञान, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, उदयपुर जोन उदयुपर।
5. श्रीमान् अधीक्षण भू—वैज्ञानिक खान एवं भूविज्ञान विभाग भीलवाडा वृत भीलवाडा।
6. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., निदेशालय, उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा आमन्त्रण सूचना, प्रारूप एवं शर्ते तथा संलग्नक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें
7. स्टोरकीपर, कार्यालय हाजा को भेजकर निर्देश है कि निविदा आमन्त्रण सूचना प्रारूप एवं शर्ते तथा संलग्नक RajasthanState Public Procurement Portal की वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, चितौडगढ

(ओ.पी जांगिड)
वरिष्ठ भू—वैज्ञानिक
चितौडगढ

राजस्थान सरकार
कार्यालय वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, खनिज भवन, चित्तौड़गढ़
दूरभाष/Phone 01472-251156 (Email:- sg.chittorgarh.mg@rajasthan.gov.in)

खुली निविदा का प्रारूप

1. विभागीय परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य, खनिजों के डेलिनियेशन सबंधी कार्य,एम.एल./पी.एल./सी.एल. क्षैत्रों पर आवश्यक कार्य यथा सेम्पलिंग (सेम्पल कलेक्शन एवं सेम्पल पिप्रेशन) का कार्य, सर्वे से सबंधित कार्य, सर्वे उपकरणों इत्यादि की सुरक्षा एव रखरखाव का कार्य, परियोजना संचालन सबंधी एवं निर्देशानुसार अन्य सम्बन्धित कार्यो को आउटसोर्सिंग के आधार पर पूरा करना होगा एवं चौकीदारी करना।
2. निविदा जारी करने की तिथि:– 18.08.2021
3. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि :– 01.09.2021
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/एजेन्सी का नाम, डाक का पता व टेलिफोन नं.:–
   ....
   ....
5. किसको सम्बोधित किया जाना है :–वरिष्ठ भू–वैज्ञानिक, चितौडगढ
6. संदर्भ:– निविदा संख्या 001 दिनांक 18.08.2021
7. अनुमानित लागत :– रू. 3.70 लाख (अक्षरे रू. तीन लाख सत्तर हजार मात्र)
8. निविदा सूचना संख्या 001 दिनांक 18.08.2021 जो कि कार्यालय वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, चितौडगढ द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों के पालन करने के लिए मैं/हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठों में दी गयी है (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनके वर्णित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है) का पालन करने के लिए भी सहमत है एवं निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी शर्तो तथा राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों व निर्देशों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
9. मैं/हम निविदाकार द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है:–

क्रं. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1.	राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम,1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5.	आयकर (पेन नं.)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट,1956 के अन्तर्गत				
7.	बैंक खाता नं., बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड के लिये पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि				

19. संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थित में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा। (यदि निविदादाता जीएसटी दायरे में आता है।)

20. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

21. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

22. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

23. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

24. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो इस कार्यालय द्वारा इस सबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही की जावेगी।

25. संवेदक को कार्यादेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

26. निविदाकार निविदा के साथ आयकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।

27. टेण्डर फार्म स्याही अथवा टंकण द्वारा भरा जा सकेगा। पेंसिल से भरा गया टेण्डर फार्म स्वीकार्य नहीं होगा। निविदाकार टेण्डर फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं अन्त में टेण्डर की समस्त शर्तो की स्वीकृति के प्रतीक स्वरुप हस्ताक्षर करेगें।

28. दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जानी चाहिए। किसी प्रकार का संशोधन होने पर अथवा त्रुटि होने पर उसे स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए एवं दिनांक सहित लम्बे हस्ताक्षर प्रमाणन हेतु किये जाने चाहिए।

29. समस्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन होगी। श्रमिकों के कार्य स्थल तक आने जाने के लिये किसी प्रकार का गाड़ी भाड़ा/यातायात प्रभार देय नहीं होगा।

30. टेण्डर खोले जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए स्वीकृति निर्णयन हेतु वैध होगें।

31. अनुमोदित निविदाकार के संबंध में समस्त शर्तो या वैधानिक उत्तरदायित्वों आदि के अर्थ के संबध में कोई संदेह हो तो उसे निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर संदेह दूर कर लेना चाहिए।

32. निविदाकार अपनी निविदा अथवा सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और ना किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा।

33. कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा कार्य की आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में प्रदाय की संविदा को किसी भी समय निराकृत (रिप्युडिएट) किया जा सकता है।

34. निविदा स्वीकार होने के बाद आपूर्ति आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर अनुमोदित निविदाकार कार्य शुरु करायेगा।

35. यदि निविदा सूचना में दर्शायी गई मात्रा से नियमानुसार अधिक मात्रा में कार्य हेतु आदेश दिया जाता है तो निविदाकार ऐसी आदेशित मात्रा की आपूर्ति के लिये बाधित होगा। निविदा में दी गई दरों एवं शर्तो के अधीन रहते पुनरावृति आदेश (रिपिटेड ऑर्डर) दिये जा सकते है। पुनरावृति आदेश मूल आदेश की मात्रा के 50 प्रतिशत तक के लिये हो सकेगा एवं ऐसा आदेश अंतिम आपूर्ति के 2 माह के भीतर दिया जा सकेगा। अगर निविदाकार ऐसी आपूर्ति करने में असफल रहता है तो कार्यालयाध्यक्ष सीमित निविदा अथवा अन्य श्रमिकों की व्यवस्था करने के लिये स्वत्रंत होगा। ऐसी स्थिति में कोई अतिरिक्त व्यय होगा तो अनुमोदित निविदाकार से वसूलनीय होगा।

36. यदि कार्यालयाध्यक्ष कार्य का कोई आदेश देता है अथवा कार्य की मात्रा कम करने का आदेश देता है तो अनुमोदित निविदाकार किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।

37. आकस्मिक कार्य की आपूर्ति वास्तविक आकस्मिकता उत्पन्न होने पर मांग किये जाने पर करनी होगी। ऐसी मांग प्रति श्रमिक अधिकतम 15 दिवस प्रतिमाह के लिये हो सकेगी। आकस्मिकता उत्पन्न न होने पर ऐसे किसी श्रमिक की सेवायें नहीं ली जावेंगी।
38. बोली प्रतिभूति घोषणा–पत्र के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
39. उक्त अनुबन्ध की अवधि निविदा सम्पादित होने की दिनांक से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये तथा नियमानुसार विस्तारित अवधि के लिये विधि मान्य होगी, जिसकी अवधि पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
40. अनुबन्ध के सम्पादन एवं मुद्रांकन (स्टाम्पिंग) का व्यय अनुमोदित निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग को बिना कोई मूल्य चुकाये मुद्रांकित अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध कराई जावेगी।
41. कार्य की अवधि 8 घंटे प्रति श्रमिक प्रति श्रमिक दिवस होगी। पागल, बालक (18 वर्ष से कम) एवं विकलांग श्रमिकों की सेवायें स्वीकार नहीं की जावेगी। कार्य स्थल पर श्रमिकों को स्वंय के साधन से पहुंचना होगा।
42. अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि श्रमिक/श्रमिकों द्वारा कोई न्यायिक प्रकरण/लिटिगेशन दायर किया जाता है तो उसके लिये अनुमोदित निविदाकार पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगा।
43. श्रमिक हितों के संरक्षण का एक मात्र दायित्व अनुमोदित निविदाकार का रहेगा। श्रम कल्याण के लिये अपेक्षित सुविधायें अनुमोदित निविदाकार द्वार उपलब्ध कराई जायेगी। इस संबंध में विभाग को श्रमिकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
44. अनुबन्ध द्वारा आउट सोर्सिंग से कराये जाने वाले कार्य हेतु अनुमोदित निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों द्वारा उठायी गई किसी प्रकार की षिकायत को सुनने के लिये विभाग बाध्य नहीं है।
45. दुर्घटना या अन्य किसी आकस्मिकता के घटने की स्थिति में अनुमोदित निविदाकार का उत्तरदायित्व होगा।
46. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा चोरी या सरकारी सम्पति का नुकसान किये जाने पर उसकी वसूली अनुमोदित निविदाकार से की जावेगी।
47. यदि निविदाकार ऐसी शर्त लगाता है जो यहां उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त है अथवा इनके विपरित है तो उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है। किसी स्थिति में ऐसी कोई शर्त स्वीकृत हुई नहीं समझी जावेगी, जब तक इसकी लिखित स्वीकृति कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी नहीं कर दी जाती है।
48. किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह न्यूनतमक निविदा ही हो। कार्यालयाध्यक्ष को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने अथवा एक या एक से अधिक निविदा को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
49. अनुमोदित निविदाकार को सम्पादित किये जाने वाले कार्य के भुगतान बिल प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान विभागीय अनुमति प्राप्त होने तथा कोष कार्यालय से आहरित होने पर किया जायेगा। विलम्ब का ब्याज देय नहीं होगा। यदि अनुमोदित निविदाकार प्रतिमाह बिल प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर स्वीकृति निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदा दाता को ठेका देने के लिये कार्यालयाध्यक्ष स्वतन्त्र होगा।
50. यदि संविदा के निर्वचन, अर्धान्यन एवं संविदा की शर्तों के भंग संबंधी कोई वाद उत्पन्न होता है तो सविंदा के पक्षकारों द्वारा प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा। कार्यालयाध्यक्ष अपने वरिष्ठ अधिकारी को एकमात्र आर्बिट्रटर (पंच) के रुप में नियुक्त करेगा, जो मामलों के बाद अपना जो भी निर्णय देगा वह निर्णय अंतिम होगा।
51. समस्त कार्य आउट सोर्सिंग के आधार पर रेप्सर एक्ट को ध्यान में रखते हुए करना होगा।
52. किसी भी पक्ष (सरकार एवं संविदाकार) द्वारा कानूनी कार्यवाही संस्थित किये जाने की स्थिति में न्यायालय का क्षैत्राधिकार चितौडगढ ही होगा।
53. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा।
54. करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
55. इण्डियन लेबर कान्ट्रेक्टर (Regulation and Abolition Act 1970) एवं इनके अन्तर्गत बने नियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अद्यतन प्रावधानों की पालना करने के लिये अनुबन्धकर्ता बाध्य होगा।
56. आउट सोर्सिंग पर कार्य चितौडगढ जिले में विभाग द्वारा खनिज पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण संबधी कार्य हेतु किया जावेगा तथा आउटसोर्सिंग से श्रमिक लगाने हेतु अनुमोदित निविदाकार द्वारा सीधे रूप से विभाग को

किन्हीं व्यक्तियों की सेवायें नहीं दी जावेगी, न ही किन्हीं व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबंधित किया जावेगा।

57. निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को रू. 500/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादन करना होगा।

58. निविदादाता करार निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :—

(1) भागीदार फर्मों के मामले में विलेख की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

(2) फर्म/फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत हो तो क्रमांक एवं रजिस्ट्रीकरण का वर्ष जीएसटी पंजीकरण प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

(3) एकमात्र स्वतत्वधारित की दशा में निवास/कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर, आयकर पत्र, पेन संख्या, मान्य आधार पत्र/परिचय पत्र आदि।

59. निविदादाता की जमा अमानत राशि निम्न प्रकरणों में जब्त की जा सकेगी :—

(1) यदि निविदा खोलने के पश्चात, लेकिन स्वीकृति से पूर्व निविदा वापस ले लेता है अथवा करार निष्पादन नहीं किया जाता है।

(2) प्रदाय आदेश उपरान्त निविदादाता बोली प्रतिभूति घोषणा—पत्र नहीं जमा कराता है।

60. वित विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित Circular No. 3/2013 Date 04.02.2013 की विभिन्न शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उसका अनुसरण किया जावेगा।

(ओ.पी जांगिड)
वरिष्ठ भू—वैज्ञानिक
चितौडगढ

Annexure-A

Form of Bid -Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :
To:

....
....

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-
(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation ofthe procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed. :--
Name :--
In the capacity of :----------------------------
Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated on day of
Corporate Seal --

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]